


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 02]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 26, 2015/फाल्गुन 7, 1936

No. 02]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 26, 2015/PHALGUNA 7, 1936

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2015

का.नि.आ. 02(अ).—केन्द्रीय सरकार सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) की धारा 5 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और का.नि.आ. 14(अ), तारीख 21 अक्टूबर, 2009 का आंशिक उपांतरण करते हुए 2 जून, 2014 से चैन्नई में सशस्त्र बल अधिकरण की न्यायपीठ की अधिकारिता को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तथा पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की राज्यक्षेत्रीय सीमाओं के अतिरिक्त तेलंगाना राज्य की राज्यक्षेत्रीय सीमाओं तक अधिसूचित करती है।

[फा. सं. 7(6)/2009/डी (एएफटीसी)]

हिमांशु कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2015

S.R.O. 02(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 5 of the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007), in partial modification of S.R.O. 14(E), dated 21st October, 2009, the Central Government hereby notifies the jurisdiction of the Bench of the Armed Forces Tribunal at Chennai with effect from 2nd day of June, 2014 to the territorial limits of the state of Telangana in addition to the territorial limits of the States of Tamil Nadu and Andhra Pradesh and the Union Territory of Puducherry.

[F. No. 7(6)/2009-D(AFTC)]

HIMANSHU KUMAR, Jt. Secy.